राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकःडीसी–2/ए–2/अपील–सैल.लाई./2011/ दिनांक

# आदेश

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 66(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के समक्ष की जाने वाली अपीलों का निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा कियाजाता है। वर्तमान में यह कार्य विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज0 ,जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अपीलीय अधिकारी के अनुसार लाईसेन्सिग प्राधिकारी की ओर से उनका पक्ष रखनें हेतु सम्बंधित जिलों के लाईसेन्सिग प्राधिकारियों को बार–बार जयपुर आना पडता है, जिससे उनके समय व राज्य धन का अपव्यय होता है तथा नियमित राजकार्य में भी रूकावट आती है।

अतः निर्णय लिया गया है कि जिलों के लाईसेन्सिग प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व मुख्यालय पर श्री वी0के0 ढल, सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे। अपीलीय अधिकारी अपील की एक प्रति जिले के लाईसेन्सिग प्राधिकारी को भेजेंग तथा दूसरी श्री वी0के0 ढल को प्रेषित की जायेगी। जिलों के अधिकारियों द्वारा अपील का जवाब बनाकर सीधे ही अपीलीय अधिकारी को भेजा जायेगा जिसकी प्रति श्री वी0के0 ढल, सहायक औषधि नियंत्रक, निदेशालय मुख्यालय जयपुर को प्रेषित करेंगे जो अपील में सुनवाई के समय उनका पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

ह0

औषधि नियंत्रक

राज0,जयपुर।

क्रमांक डीसी–2/ए–2/अपील–सैल लाई./11/151 दिनांक 3/3/11

प्रतिलिपि :–

1. अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को उनके निर्देशाानुसार पाल ना कर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री वी0के0 ढल, सहायक औषधि नियंत्रक, मुख्यालय
3. समस्त लाईसेन्सिग प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियत्रंक,राजस्थान।
4. इन्चार्ज सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट के Important Circulars में शामिल करें।

औषधि नियंत्रक

राज0,जयपुर।